



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 29-08-2021

दिनांक 27.08.21 को थाना कैन्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0-645/2010 धारा-302/34,201 भा0द0वि0, से सम्बन्धित अभियुक्त सूबेदार सिंह पुत्र स्व. विश्वनाथ सिंह निवासी एस 10/132-ई -3 हुकुलगंज थाना कैन्ट वाराणसी को मानीट्रिंग सेल व प्रभारी निरीक्षक कैन्ट की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 भा0द0वि0 के अधीन आजीवन कारावास तथा रु- 15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा व धारा 201 भादवि के अधीन दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । जबकि मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण असलम उर्फ लोरी पुत्र सुलेमान निवासी एस0 10/132 हुकुलगंज थाना कैन्ट वाराणसी व अकबर पुत्र तसौवर निवासी हुकुलगंज थाना कैन्ट वाराणसी को धारा 302/34,201 भा0द0वि0 से दोषमुक्त किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी